पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2307

दिनांक-03.10.2025

जोन- उत्तरी/ थाना- सैरपुर

- **थाना सैरपुर पुलिस व आबकारी टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर अवैध शराब बिक्री करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **सैरपुर पुलिस टीम व आबकारी टीम द्वारा संयुक्त छापेमारी कर अभियुक्त के पास से किया गया विभिन्न मार्का की अधिक मात्रा में अवैध शराब बरामद।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 03/10/2025 को आबकारी टीम मय थानाध्यक्ष सैरपुर श्री मनोज कुमार कोरी हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र रोक थाम जुर्म जरायम चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन एंव उच्चाधिकारीगण के आदेश के अनुपालन में नशे के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत चेकिंग में मामूर थे कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नवनीत प्रोविजन स्टोर पर चोरी छिपे शराब बिक्री हो रही है।

उक्त सूचना पर विश्वास कर आबकारी व थाना सैरपुर पुलिस की संयुक्त टीम नवनीत प्रोविजन स्टोर दविश देते हुए दुकान में मौजूद व्यक्ति से पूछताछ की गयी तो दुकान में मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम नवनीत गुप्ता उर्फ गोपाल गुप्ता पुत्र सुरेश चन्द्र गुप्ता उम्र लगभग 32 वर्ष निवासी 728 सदाबहार कालोनी मुबारकपुर निकट आईआईएम थाना सैरपुर जनपद लखनऊ बताया। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर नवनीत गुप्ता उपरोक्त ने बताया मेरे दुकान के पीछे बने कमरे में दो-तीन शराब की बोतले है।

संयुक्त टीम द्वारा गहनता से कमरे की तलाशी ली गयी तो कमरे में मौजूद फ्रीज के नीचे एक लोहे का दरवाजा दिखाई पड़ा संयुक्त टीम द्वारा फ्रीज हटाकर दरवाजे को खोला गया तो अन्दर एक तहखाने में शराब की कई बोतले मौजूद दिखाई पड़ी। इसके अतिरिक्त कमरे में मौजूद डीप फ्रीजर में विभिन्न ब्रांड की बीयर के कई सारे केन व बोतले मिली। तहखाने के अन्दर मौजूद विभिन्न ब्रांड की शराब की बोतलों को उचित माध्यम से सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया। कमरे से बरामद उपरोक्त शराब के बोतलों पर चस्पा क्यूआर कोड को आबकारी टीम द्वारा विभागीय एप्प से स्कैन किया गया। स्कैन करने पर टीचर्स ब्रांड,ब्लैक डाग ब्रांड व 100 पाइपर की धारिता 750 एमएल बोतलो पर 8पीएम स्पेशल ब्लैडआफ स्काच एवं इंडियन ग्रेन बिस्की ब्रांड प्रदर्शित हो रहा है और ब्लैक एवं व्हाइट ब्लैडेड स्काच विस्की की धारिता 750एमएल बोतलों पर अमरूत प्रेस्टीज ग्रीन क्लासिक विस्की प्रदर्शित हो रहा था। जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बोतलों पर लगे क्यूआर कोड से छेडछाड की गयी है। उपरोक्त शराब के बोतलों के सम्बन्ध में नवनीत गुप्ता से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि यह शराब की बोतले मुझे अपने पार्टनर मोनू सिंह निवासी बालागंज लखनऊ के द्वारा बेचने के लिए उपलब्ध करायी जाती है।

उक्त शराब को मैं लाभ अर्जन की नियत से एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेचता हूँ। नवनीत गुप्ता उपरोक्त का यह कृत्य आबकारी अधिनियम की धारा 60 व 61(2)/318(4)/336(3)/338/340(2)/350 बी0एन0एस0 के अतर्गत दण्डनीय अपराध है।

जुर्म धारा से अवगत कराते हुए नवनीत गुप्ता उर्फ गोपाल गुप्ता उपरोक्त को दिनांक 03/10/2025 हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

02-अपराध का उद्देशयः-

शराब को निर्धारित मूल्य पर खरीद कर मार्का परिवर्तित कर अधिक मूल्य पर अवैध तरीके से बेच कर लाभ प्राप्त करना

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. नवनीत गुप्ता उर्फ गोपाल गुप्ता पुत्र सुरेश चन्द्र गुप्ता उम्र लगभग 32 वर्ष निवासी 728 सदाबहार कालोनी मुबारकपुर निकट आईआईएम थाना सैरपुर लखनऊ (किराना की दुकान का संचालन)

04-बरामदगीः-

1. जेगर माइस्टर की 09 बोतले (धारिता 750 एमएल)
2. जैक डेनियल की 07 बोतले (धारिता 750 एमएल)
3. जैकब क्रीक (व्हाइट वाइन) की 13 बोतल (धारिता 750 एमएल)
4. बाम्बे सफायर की 10 बोतल (धारिता 750 एमएल)
5. ओक स्मिथ की 02 बोतल (धारिता 750 एमएल)
6. ब्लैक एवं व्हाइट की 02 बोतल (धारिता 750 एमएल)
7. रेड लेबल की 24 बोतले (धारिता 750 एमएल)
8. बैलंटाइन की 07 बोतले (धारिता 750 एमएल)
9. रायल रनथम बोर की 02 बोतले (धारिता 750 एमएल)
10. ओल्ड मोंक काफी की 02 बोतले (धारिता 750 एमएल)
11. मैजिक मुमेंट की 07 बोतले (धारिता 750 एमएल) व 07 बोतले (धारिता 375 एमएल)
12. बकार्डी रम की 02 बोतले (धारिता 750 एमएल) व 03 बोतले (धारिता 375 एमएल)
13. स्मरनऑफ की 12 बोतले (धारिता 750 एमएल) व 02 बोतले (धारिता 375 एमएल) व 04 पेट बोतल (धारिता 180 एमएल)
14. ओल्ड मोंक रम की 05 बोतले (धारिता 750 एमएल) व 04 बोतले (धारिता 375 एमएल) व 04 बोतल (धारिता 180 एमएल)
15. टैंक्यूरे जिन की 03 बोतले (धारिता 750 एमएल)
16. टीचर्स विस्की की 04 बोतले (धारिता 750 एमएल) व 03 बोतले (धारिता 375 एमएल)
17. शैंडन वाइन की 02 बोतले (धारिता 750 एमएल)
18. 100 पाइपर्स की 06 बोतले (धारिता 750 एमएल)
19. कमिनो टकिला की 02 बोतले (धारिता 750 एमएल)
20. ब्लैक लेबल की 01 बोतल (धारिता 750 एमएल)

21.जैकब क्रीक (रेड वाइन) की 15 बोतल (धारिता 750 एमएल)
22.ब्रीजर्स की 31 बोतले (धारिता 275 एमएल)
23.ब्लैक डाग विस्की की 09 बोतले (धारिता 750 एमएल) व 01 बोतल (धारिता 375 एमएल)
24.जेमिसन की 21 बोतले (धारिता 750 एमएल)
25.एबसौलुट वोडका की 01 बोतल (धारिता 750 एमएल)
26.बीफईटर जिन 01 बोतल (धारिता 750 एमएल)
27.ब्रोकोड एलएबी की 27 बोतले (धारिता 330 एमएल)
28.वनमोर वोडका की 01 बोतल (धारिता 750 एमएल)
29.ग्रेगुज की 01 बोतल (धारिता 750 एमएल)
30.इन्द्री की 01 बोतले (धारिता 750 एमएल)
31.बकार्डी एलएबी की 21 बोतले (धारिता 275 एमएल)
32.कोरोना बीयर की 22 बोतले (धारिता 330 एमएल)
33.ट्यूबर्ग बीयर के 12 केन (धारिता 500एमएल)
34.कार्लस्बर्ग बीयर के 26 केन (धारिता 500एमएल)
35.बडवाइजर बीयर के 23 केन (धारिता 500 एमएल)
36.बीरा बीयर के 03 केन (धारिता 500 एमएल) कुल 365 बोतले/केन

05-आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 129/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 61(2)/318(4)/336(3)/338/340(2)/350 बी0एन0एस0 थाना सैरपुर लखऊ

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना सैरपुर-

1.थानाध्यक्ष श्री मनोज कुमार कोरी
2.उ0नि0 श्री अनुज कुमार गुप्ता
3.उ0नि0 श्री सौरभ कुमार पटेल
4.का0 विकास कुमार सरोज
5.का0 राज वीरन्द्र यादव
6.का0 रवि भूषण कुमार
7.का0 शिवाला देवी

07-गिरफ्तारी करने वाली आबकारी टीम

1. आबकारी निरीक्षक श्री शिखर कुमार मल्ल
2. आबकारी निरीक्षक श्री अभिषेक सिंह
3. प्रधान आबकारी सिपाही सुधीर कुमार
4. आबकारी सिपाही अर्जुन सिंह

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2308
दिनांक 03.10.2025

जोन-दक्षिणी/ थाना- सरोजनीनगर

- **थाना सरोजनीनगर पुलिस टीम द्वारा गैर-इरादतन हत्या के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 02.10.2025 को वादी मुकदमा श्री राजेश कुमार स्वर्णकार पुत्र स्व श्री दुलारे राम निवासी म.नं. 2/123 रजनी खण्ड थाना आशियाना लखनऊ मूल पता कस्बा व थाना कबरई जिला महोवा के द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गयी कि वादी के बेटे अश्वनी कुमार व गौरव कुमार नादरगंज थाना सरोजनीनगर लखनऊ मे गुटखा फैक्ट्री मे काम करते थे जो अत्यधिक शराब का सेवन करते थे जिनके द्वारा अत्यधिक शराब के नशे में लड़ाई झगड़ा करना जिससे वादी के पुत्र अश्वनी कुमार को चोट लग जाना, जिससे अश्वनी कुमार की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ, प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल मु0अ0सं0 340/25 धारा 105 बी0एन0एस0 बनाम गौरव कुमार निवासी- गिन्दखेड़ा गुड्डू के किराये के मकान थाना सरोजनीनगर लखनऊ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना उ0नि0 श्री बीरबहादुर दूबे को सुपुर्द की गयी।

मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित गौरव कुमार उपरोक्त की तलाश की जा रही थी कि मुखबिर खास की सूचना कैलाश विहार मोड़ से करीब 50 मीटर की दूरी से आज दिनांक 03.10.2025 को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. गौरव कुमार उर्फ डब्लू पुत्र राजेश कुमार स्वर्णकार पुत्र निवासी म.नं. 2/123 रजनी खण्ड थाना आशियाना लखनऊ हाल पता - कस्वा व थाना कबरई जिला महोवा उम्र करीब 29 वर्ष।

03- अभियोग का विवरण –

1.मु0अ0सं0 340/25 धारा 105 बीएनएस थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ।

04-अपराध का तरीका-

अभियुक्त गौरव कुमार उर्फ डब्लू द्वारा अत्यधिक शराब का सेवन कर अपने भाई मृतक अश्वनी कुमार से लड़ाई झगड़ा करना जिससे अश्वनी कुमार को चोट लग जाना जिससे अश्वनी कुमार की मृत्यु हो जाना।

06- बरामदगी-

- 01 अदद चाकू आला कत्ल।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री बीर बहादुर दूबे, थाना सरोजनीनगर, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री आशीष साहू, थाना सरोजनीनगर, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. का0 पवन कुमार, थाना सरोजनीनगर, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2406

दिनांक-03.10.2025

जोन- पश्चिमी/थाना- ठाकुरगंज

- **मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत शादी का झाँसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

वादिनी मुकदमा के द्वारा दिनांक 02.10.2025 को थाना हाजा पर तहरीरी सूचना दी गई कि विपक्षी के द्वारा उसके साथ शादी का झाँसा देकर दुष्कर्म किया गया है तथा शादी करने से इनकार कर रहा है तथा धमकी दे रहा है। वादिनी की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0-596/2025 धारा 69/351(3) बीएनएस थाना ठाकुरगंज लखनऊ बनाम विनय प्रजापति पुत्र श्री रामनरेश प्रजापति निवासी नगरिया ठाकुरगंज हरदोई रोड थाना ठाकुरगंज लखनऊ के पंजीकृत किया गया।

ठाकुरगंज पुलिस के द्वारा तत्परता से विवेचना तथा सुरागरसी पतारसी के क्रम में मुखबिरी सूचना पर अभि0 को 24 घण्टे के अंदर दिनांक- 03.10.2025 को गुप्ता कैफे के सामने ठाकुरगंज चौराहा हरदोई रोड के पास से गिरफ्तार कर पंजीकृत अभियोग में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.विनय प्रजापति पुत्र श्री रामनरेश प्रजापति निवासी नगरिया ठाकुरगंज हरदोई रोड थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष

03-पंजीकृत (अनावरित) अभियोग–

1.मु0अ0सं0-596/2025 धारा – 69/351(3) बीएनएस थाना ठाकुरगंज लखनऊ

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री ओमवीर सिंह चौहान प्रभारी निरीक्षक थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
2. वरि0 उ0नि0 श्री अवधेश कुमार यादव थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
3. का0 बृजेश कुमार यादव थाना ठाकुरगंज लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2405

दिनांक-03.10.2025

जोन- पश्चिमी/थाना- ठाकुरगंज

- **02 शातिर वाहन चोर/अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 02 अदद मोटरसाइकिल बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री शम्भू प्रसाद चौधरी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद चौधरी निवासी एम- 2/27 सेक्टर आई जानकीपुरम लखनऊ के द्वारा दिनांक 02/10/25 को थाने पर तहरीर देकर अवगत कराया कि उनकी मोटरसाइकिल यू0पी0 34 डब्लू 7431 हुसैनाबाद घण्टा घर से अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर ली गई है। उक्त सूचना पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0-0597/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया गया।

विवेचना तथा सुरागरसी पतारसी के क्रम में मुखबिरी सूचना पर घटना में शामिल दो शातिर चोरों क्रमशः संदीप कश्यप उम्र करीब 29 वर्ष पुत्र स्व० रमेश कश्यप नि०- गुडियनपुरवा कश्यप नगर थाना मदेयगज डालीगंज लखनऊ 02.राज निषाद उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र बबलू निषाद नि०- मोहन बेकरी के पास गुड़ियनपुरवा कश्यप नगर थाना मदेयगज डालीगंज लखनऊ को चोरी की मोटरसाईकिलों हीरो स्पलेण्डर प्रो न0- UP32 FW 2917,हीरो एचएफ डीलक्स नं0-UP34 W 7431 सहित दिनांक-03.10.2025 को बन्धा रोड से गुलाला घाट की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोग में धारा-317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही करते अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01-संदीप कश्यप उम्र करीब 29 वर्ष पुत्र स्व० रमेश कश्यप नि०- गुडियनपुरवा कश्यप नगर थाना मदेयगज डालीगंज लखनऊ

02.राज निषाद उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र बबलू निषाद नि०- मोहन बेकरी के पास गुड़ियनपुरवा कश्यप नगर थाना मदेयगज डालीगंज लखनऊ

03-पंजीकृत (अनावरित) अभियोग–

1.मु0अ0सं0-0597/2025 धारा 303(2) बीएनएस एवं बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना-ठाकुरगंज लखनऊ

04-बरामदगी का विवरण-

- मोटरसाइकिल-हीरो स्पलेण्डर प्रो न0- UP32 FW 2917
- मोटरसाइकिल-हीरो एचएफ डीलक्स नं0-UP34 W 7431

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. **श्री ओमवीर सिंह चौहान प्रभारी निरीक्षक** थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
2. उ0नि0 मनुज कुमार चौकी प्रभारी सतखण्डा थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
3. उ0नि0 अमित कुमार सिंह थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
4. का0 रमन प्रताप थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
5. का0 आदेश सिंह राठौर थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
6. का0 जितेन्द्र पाण्डेय थाना ठाकुरगंज लखनऊ।